

मुख्य आयुक्त का कार्यालय Office of the Chief Commissioner सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर, विशाखापट्टणम क्षेत्र Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone



प्रथम तज, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापट्टणम - 530035 1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam - 530035

(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

email: ccu-cexvzg@nic.in

स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं.01/2025 (अधीक्षक) Establishment Order (G.O) No. 01/2025 (SUPERINTENDENT)

स्थापना आदेश (राजपत्रित) संख्या 07/2024 दिनांक 12.07.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री चिट्टा श्रीदेव कुमार, अधीक्षक (तिरुपित सीजीएसटी आयुक्तालय में तैनाती आदेशित) को डीआरआई हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो महीने की अविध के लिए अस्थायी रूप से तिरुपित सीजीएसटी आयुक्तालय की ताकत से ऋण के आधार पर डीआरआई हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई में तैनात किया जाता है।

In partial modification to EO (GO) No. 07/2024 dated 12.07.2024, Sri Chitta Sridev Kumar, Superintendent (UoP to Tirupati CGST) is posted to DRI Hyderabad Zonal Unit on Loan Basis against the strength of Tirupati CGST Commissionerate, temporarily for a period of two months from the date of his joining in DRI Hyderabad Zonal Unit.

2. अतिरिक्त आयुक्त (सीसीए), हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय द्वारा जारी स्थापना आदेश (रा.प.) संख्या सं.56/2024 दिनांक 06.06.2024 में उल्लिखित सभी नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगे ।

All terms & conditions mentioned in EO (GO) No. 56/2024 dated 06.06.2024 issued by Additional Commissioner (CCA), Hyderabad GST Commissionerate remain unaltered.

- 3. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए । Necessary entries may be made in relevant records.
- 4. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.
- 5. यह मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापद्दणम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
 This issues with the approval of Chief Commissioner of Customs and Central Tax,
 Visakhapatnam Zone.

Signed by Sreekanth Musuluru

Date: 22-01-2025 07:51:26 (एम. श्रीकान्त / M Sreekanth)

अपर आयुक्त / Additional Commissioner

(फाइल सं GCCO/II/(3)/9/2024-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM से जारी)
[Issued from file GCCO/II/(3)/9/2024-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM]
सेवा में/ To

संबंधित अधिकारी को / The Officer concerned.

प्रतिलिपि:

- 1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर, तिरुपित सीजीएसटी / हैदराबाद सीजीएसटी (संनिप्रा) आयुक्तालय।
- 2. अपर महानिदेशक डीआरआई, हैदराबाद जोनल इकाई
- 3. म्.ले. अधिकारी / आ सं अ तिरुपति जीएसटी आयुक्तालय

- 4. वेतन एवं ले. अधिकारी, तिरुपति ।
- 8. सूचना पटल/वेबसाइट/स्टॉक फाइल ।

Copy to:-

- 1. The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Tirupati CGST / Hyderabad (CCA) Commissionerate.
- 2. The ADG DRI, Hyderabad Zonal Unit.
- 3. CAO / DDO Tirupati CGST Commissionerate.
- 4. PAO of Tirupati CGST.
- 5. Notice Board/website/Stock file.